महात्मा ज्योतिबा फुले
रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली

महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांकःरू.वि./गोप./प्रयो.मौ./2017–18/एफ–06 दिनांकः– 25 अक्टूबर, 2017

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय
एम.जे.पी.रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

विषयः– वर्ष 2018 की प्रयोगात्मक एवं मौखिकी परीक्षाओं हेतु आन्तरिक परीक्षकों के नाम भेजने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय मुख्य परीक्षा–2018 की प्रयोगात्मक परीक्षायें एकेडेमिक कैलेण्डर के अनुसार लिखित परीक्षाओं से पूर्व सम्पन्न होनी है। अतः आपसे अनुरोध है कि सत्र 2017–18 में आयोजित होने वाली समस्त कक्षा/विषयों की प्रयोगात्मक परीक्षाओं के आन्तरिक परीक्षकों की सूची 04 नवम्बर 2017 तक अवश्य भेजने की व्यवस्था की जाये।

वर्ष 2018 की प्रयोगात्मक एवं मौखिकी परीक्षायें पूर्व की भांति अनुक्रमाकों के क्रम में 120 छात्रों के बैच बनाकर करायी जानी है। कृपया प्रयोगात्मक एंव मौखिकी परीक्षा हेतु बनने वाले बैचों की संख्या (वर्तमान मे प्रवेशित छात्र संख्या के आधार पर) एवं आन्तरिक परीक्षकों के नाम वरीयता चक्राक्रमानुसार प्रस्तावित कर दिनांक 04.11.2017 तक अवश्य भेजने का कष्ट करें, जिससे कि तद्नुसार परीक्षकों की नियुक्ति की जा सके। केवल वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षकों की एक संकलित सूची प्राचार्यों को भेजी जायेगी। प्राचार्यों का यह कर्तव्य होगा कि वह परीक्षक सूची में अंकित वाह्य परीक्षकों को पंजीकृत डाक से तथा आन्तरिक परीक्षकों को डॉक/मोबाइल द्वारा नियुक्ति पत्र भेजकर विधिवत आमंत्रित करें। नियुक्त परीक्षक के न आने पर/असमर्थता प्रकट करने पर विश्वविद्यालय से नया परीक्षक मांगा जायेगा। यदि महाविद्यालय, बिना अनुमति के अपने स्तर पर किसी अन्य परीक्षक से परीक्षा सम्पन्न कराने का प्रयास करेगा तो ऐसे अंक विश्वविद्यालय को मान्य नहीं होगें। **प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षाओं में आन्तरिक परीक्षकों की नियुक्ति हेतु स्नातक स्तर पर 04 वर्ष का अध्यापन अनुभव एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 05 वर्ष का अध्यापन अनुभव नियमित शिक्षक के रूप में आवश्यक है।** अतः आन्तरिक परीक्षकों के नाम प्रस्तावित करते समय नियमित शिक्षक के रूप में अध्यापन अनुभव तथा वरीयता चक्रानुक्रम का अवश्य ध्यान रखा जाय एवम विशेष सावधानी भी बरती जायें। **शिक्षा निदेशक द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में संविदा पर नियुक्त तथा अनुदानित महाविद्यालयों में मानदेय पर नियुक्त ऐसे शिक्षकों जिनकी नियुक्ति यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप हों, निरन्तर 04 वर्षो का स्नातक स्तरीय अध्यापन अनुभव रखते हों तथा वर्तमान में भी शिक्षण कार्य कर रहें हों, सरकारी कोष से वेतन दिया जा रहा हो– को भी परीक्षकत्व दिये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उपर्युक्त अर्हताधारी सविदा/मानदेय शिक्षकों के नाम भी आन्तरिक परीक्षक के रूप में संस्तुत किये जायें। राजकीय एवं वित्त पोषित महाविद्यालयों से सेवानिवृत्त होने के पश्चात पुनः नियुक्त मानदेय शिक्षकों के नाम इसमें शामिल न किये जायें। स्ववित्त पोषित महाविद्यालयें/पाठयक्रमों में उस महाविद्यालय के अर्ह परीक्षक न होने की दशा में विश्वविद्यालय द्वारा अर्ह आन्तरिक परीक्षक राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों से नियुक्त किये जायेगें। स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या केवल अर्ह आन्तरिक परीक्षकों के अतिरिक्त कक्षा/विषय/बैच की ही सूचना निर्धारित प्रारूप पर दें।** अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्य/प्राचार्या से अनुरोध है कि उनके महाविद्यालय में जो पाठयक्रम स्ववित्त पोषित के अन्तर्गत संचालित हैं, उनमें आन्तरिक परीक्षकों के नामों की संस्तुतियां अन्य अनुदानित महाविद्यालयों से न की जायें। केवल कक्षा/विषय/बैच की ही सूचना निर्धारित प्रारूप पर दी जाये। अर्ह आन्तरिक परीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किये जायेगे।

कमशः.....2

कृपया उपर्युक्तानुसार प्रस्तावित आन्तरिक परीक्षकों के बैच–वाइज नाम **निम्नांकित प्रारूप पर परीक्षा नियंत्रक (गोपनीय विभाग) म.ज्यो.फु.रू.वि.वि. बरेली के पास यथा शीघ्र (दिनांक 04.11.2017 तक) सील्ड लिफाफे में भेजने का कष्ट करें।**

प्रारूप

प्रयोगात्मक/मौखिकी परीक्षा 2018 हेतु आन्तरिक परीक्षकों के नाम

कक्षा	विषय	बैच	चक्रानुक्रमानुसार आन्तरिक परीक्षक का नाम	नियमित शिक्षक के रूप में अध्यापन अनुभव के कुल वर्ष

सधन्यवाद

भवदीय

(महेश कुमार)
परीक्षा नियंत्रक

विशेष टिप्पणीः–1. गत वर्ष भी निर्धारित प्रारूप पर अनेक महाविद्यालयों ने नाम नहीं भेजे थे। अतः इस वर्ष उपर्युक्त प्रारूप के अनुरूप ही नाम सीधे परीक्षा नियंत्रक के पास भेजे जायें।

2. स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को केवल कक्षा/विषय/बैच की ही सूचना निर्धारित प्रारूप पर भेजनी है, आन्तरिक परीक्षक के नामों की संस्तुतियॉ नहीं करनी है।